कण्डिका क्रमांक – 26

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)
भाग – II
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

07. परियोजना / स्कीम का स्थान :–

i	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	:–	छत्तीसगढ़
ii	जिला	:–	उत्तर बस्तर कांकेर
iii	वन प्रभाग	:–	वन मण्डल कांकेर, परिक्षेत्र कांकेर
iv	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेंक्टर में)	:–	कांकेर परिक्षेत्र के नारंगी वन खण्ड नाथियानवागांव के कक्ष क्रमांक 346 में से रकबा 2.000 हें.
v	वन की कानूनी स्थिति	:–	संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 346
vi	हरियाली का धनत्व	:–	0.2 से 0.3
vii	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर. एल. एफ. आर. एल. – 2 मीटर पर परिगणना और एफ. आर. एल. – 4 मीटर भी संलग्न की जाए)	:–	प्रजातिवार एवं गोलाईवार वृक्ष गणना पत्र पेज क्रमांक ..... से ..... तक संलग्न है। कुल वृक्षों की संख्या में से 70 से.मी. गर्थ के ऊपर के ..... वृक्ष है।
viii	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।	:–	प्रस्तावित स्थल कंकडीली एवं उबड–खाबड़ होने के कारण मृदा भू–क्षरण होने की संभावना नहीं है।
xi	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी ।	:–	प्रस्तावित क्षेत्र से आरक्षित वन खण्ड कक्ष क्रमांक 65 के सीमा से लगा हुआ है तथा प्रस्तावित नारंगी वन खण्ड नाथियानवागांव, कक्ष क्रमांक 346 का ही भाग है।

x	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबंधित की जाये)	:–	नहीं।
xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुलर्भ / संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है, यदि हॉ / तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	:–	नही।
xii	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित है । यदि हॉ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो , दें ।	:–	प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल स्थित नहीं है।
08	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग – 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ।	:–	आवेदक विभाग द्वारा ग्राम नाथियानवागांव में ''सीन ऑफ क्राईम यूनिट – ओकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर'' की स्थापना हेतु मांग की गई भूमि 2.00 हें. अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
09	क्या अधिनियम उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नही) यदि हॉ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौंरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहें हैं।	:–	नहीं।
10	**प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौंरा –**		
i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार	:–	भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/ F.No. 11-9-98-FC दिनांक 16.06.2011 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार इस प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर / अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र ।	:–	आवश्यक नहीं है।

iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि ।	:—	आवश्यक नहीं है।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय ।	:—	आवश्यक नहीं है।
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तांतरित किया जाए)	:—	आवश्यक नहीं है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पुछे गए तथ्यों को दर्शातें हुए (संलग्न करें)	:—	संलग्न है।
12	**विभाग / जिला प्रोफाइल :—**	:—	
i	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	:—	वन मण्डल का भौगोलिक क्षेत्र 2686.695 वर्ग कि.मी. है।
ii	जिले का वन क्षेत्र	:—	वन मण्डल का कुल क्षेत्रफल 705.27 वर्ग कि. मी. है।
iii	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	:—	वन मण्डल अन्तर्गत 1980 से अब तक कुल 6 प्रकरणों में 81.326 हें. वन भूमि वनेत्तर प्रयोग में लाया गया है।
iv	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण –	:—	
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	:—	वन मण्डल अन्तर्गत वन भूमि स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध अब तक 761.235 हें. भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया गया है।
ख	वनेतर भूमि पर	:—	नहीं।

v	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति –	:–	
क	वन भूमि पर	:–	विभिन्न परियोजनाओं के विरूद्ध रोपित किये गये क्षेत्रों के मूल्यांकन से प्रतिपूरक वनीकरण में वृद्धि हुई है।
ख	वनेतर भूमि पर	:–	वनेत्तर भूमि पर वन मण्डल में क्षतिपूर्ति वनीकरण नहीं हुआ है।
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	:–	प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की सिफारिश की जाती है। कांकेर वामपंथ उग्रवाद से ग्रस्त जिला है, जिसमें पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने में और खासकर उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने में यह संस्थान अत्यन्त उपयोगी होगा। उपयोग में लाई जाने भूमि भी वानिकी में वनीकरण अथवा पुनरूत्पादन की संभाव्यता के आधार पर पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं है, बल्कि पत्थरीली और उबड़ खाबड़ है। संस्थान द्वारा चाही गई जगह का रकबा भी 2.000 हें मात्र है, जिससे वानिकी पर बहुत ज्यादा प्रतिकूल असर नहीं होगा। साथ ही इस संस्थान का निर्माण भी शासकीय प्रक्रिया का एक भाग है, जो राष्ट्रहित में प्रतीत होता है।

दिनांक :– **08.12.2015**
स्थान :– **कांकेर**

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर